प्रादेशिक समाचार
30.08.2024 (दोपहर–1455 बजे)

झामुमो के सभी पदों और हेमंत सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके चंपाई सोरेन आज भाजपा में शामिल होंगे। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित गोलचक्कर मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में वे अपने समर्थक के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता विस्वा सरमा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बचाने और झारखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं।

चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वे आदिवासियों के अस्तित्व को बचा पायेंगे।

****

इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक संपत्ति हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने का काम किया लेकिन उनकी जासूसी शुरू कर दी गयी। यह पूरे झारखंड के लिए एक अपमानजनक बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनके शामिल होने से यहां भाजपा को मजबूती मिलेगी।

****

घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गये। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, रामेश्वर उरांव के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

****

पाकुड़ में आयकर चोरी और रिश्वत मामले में छापेमारी करने पहुंची सीबीआई की टीम ने आरोपी कोयला और पत्थर कारोबारी हाकिम मोमिन और सहयोगी नीरज अग्रवाल से पूछताछ की। सीबीआई के अधिकारियों ने जीएसटी राशि के हेरफेर मामले को रफा–दफा करने के लिए आयकर अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दिये जाने के मामले में भी दोनों से पूछताछ की। सीबीआई ने हाकिम और नीरज के घर से कई दस्तावेज भी जब्त किया है।

****

सरायकेला खरसावां जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए बीट पुलिसिंग की शुरुआत की गई है।

****

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आस–पास मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए बनी गाइडलाइन में मिले सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उत्पाद विभाग के एसओपी में इन सुझाओं पर ध्यान दिया जाये ताकि शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आस–पास नशे से जुड़ी चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिले। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन पर भी जवाब मांगा है।

********समाप्त********